

उत्तराखण्ड शासन  
समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3  
संख्या:- 125 / XVII-3 / 13-07(11) / 2012  
देहरादून: दिनांक 26 फरवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

अल्पसंख्यक विकास निधि संचालन नियमावली - 2012

भारतीय संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक मुख्यतः दो प्रकार के हैं। प्रथम-धार्मिक अल्पसंख्यक, द्वितीय-भाषाई अल्पसंख्यक। उत्तराखण्ड में धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मुख्यतः मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध एवं जैन समुदाय निवासरत् हैं। भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में उर्दू भाषी, बंगाली भाषी एवं पंजाबी भाषी मुख्यतः निवासरत् हैं। राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 15.4 प्रतिशत है। इस समुदाय के समग्र विकास हेतु जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में बहुक्षेत्रीय विकास योजना (एम0एस0डी0पी0) योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन उक्त योजना की गाईड-लाईन से कतिपय महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं तथा उक्त दोनों जनपदों के अतिरिक्त राज्य के शेष जनपदों को उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं किया जा सकता है। अतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार रू0 04.00 करोड़ की प्रारम्भिक धनराशि से "अल्पसंख्यक विकास निधि" की स्थापना कर रही है।

1. संक्षिप्त शीर्षक

इस नियमावली का संक्षिप्त शीर्षक अल्पसंख्यक विकास निधि नियमावली, 2012 है।

2. प्रधान कार्यालय

निधि के संचालन हेतु एक समिति होगी, जिसका प्रधान कार्यालय निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, देहरादून में होगा। समिति का सोसाईटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण भी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, द्वारा कराया जायेगा।

3. कायक्षेत्र

समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड होगा।

4. संस्था का उद्देश्य

अल्पसंख्यक विकास निधि स्थापित किये जाने का मुख्य उद्देश्य अवस्थापना विकास किया जाना है, जिससे अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करते हुए उनका राष्ट्र की मुख्य धारा में योगदान सुनिश्चित किया जा सके।

5. क्रियान्वयन

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में अल्पसंख्यक विकास निधि स्थापित की जानी अति आवश्यक है तथा इस हेतु जनपद/निदेशालय/शासन स्तर पर निम्नवत् कार्यवाहियां अपेक्षित है:-

(क) जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रस्तावों को तैयार करते हुए निदेशालय को प्रेषित करेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रस्तावों को तैयार करते समय यथाआवश्यक जिला स्तरीय पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति से भी सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा स्वयं तथा जनपद स्तर से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर संकलित रूप से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाएंगे।

(ग) "अल्पसंख्यक विकास निधि" से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृत करने एवं प्रभावकारी क्रियान्वयन/मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रस्तावों पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाएगा।

## 6. मुख्य बिन्दु

प्रस्तावित नई "अल्पसंख्यक विकास निधि" द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु अवस्थापना विकास एवं अन्य गतिविधियाँ (समुदायपरक) संचालित की जाएंगी। इसके मुख्य बिन्दु (Salient Features) निम्नवत् हैं:-

### समुदायपरक योजनायें:-

- (i) जो योजनाएँ यद्यपि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित हैं, लेकिन अल्पसंख्यक क्षेत्र/ग्राम में क्रिटिकल गैप (Critical Gap) के कारण विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों के क्रिटिकल गैप को पूर्ण करने के लिए विभिन्न योजनाएँ तैयार की जाएंगी।
- (ii) जो योजनाएँ एम0एस0डी0पी0 योजना की गार्ड-लाईन से आच्छादित नहीं हो रही हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के हित में अति आवश्यक हैं, को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
- (iii) राज्य के मदरसों एवं अन्य अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवस्थापना विकास हेतु भारत सरकार की आई0डी0एम0आई0 योजना से किन्हीं कारणों से वंचित संस्थाओं को राज्य सरकार अधिकतम रु0 20.00 लाख की सीमा तक (अनावर्तक) सहायता उपलब्ध करायेगी, जिसमें 75 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 25 प्रतिशत संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
- (iv) राज्य के मदरसे, जो भारत सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित हैं, लेकिन कम्प्यूटर शिक्षक का मानदेय भारत सरकार से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, के कम्प्यूटर शिक्षकों को भारत सरकार की दरों पर मानदेय प्रदान किया जाएगा।
- (v) उपरोक्त के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित अल्पसंख्यकों की मांग के क्रम में निदेशालय के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्तावों पर भी समिति गुण-दोष के आधार पर विचार करेगी तथा उपयुक्त निर्णय लेगी।

7. संचालन समिति

अध्यक्ष- प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

उपाध्यक्ष- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

सदस्य- अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सदस्य- अपर सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सदस्य - राजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून।

सदस्य - महाप्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि0, देहरादून।

सदस्य - वित्त अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय।

सदस्य सचिव - उपनिदेशक, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून।

समस्त सदस्य पदेन

8. सदस्यों का कार्यकाल

9. गणपूर्ति

10. समिति की बैठक

समिति की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति दो-तिहाई होगी।

समिति की त्रैमासिक बैठक होगी जिसके लिए 15 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बैठक आहूत की जा सकेगी, परन्तु विशेष/अपिहार्य परिस्थितियों में अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए इसका कार्योत्तर अनुमोदन समिति की अगली बैठक में कराया जायेगा। योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा उपलब्ध निधि की सीमा में ही विचार करते हुए स्वीकृति प्रदान की जायेगी। शेष प्रस्ताव जिन पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जाता है, वित्तीय वर्ष के अन्त में स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

11. समिति का दायित्व

समिति का यह दायित्व होगा कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के उन्नयन के लिए आवश्यक कार्यक्रम एवं आर्थिक सहायता सम्बन्धी नीति/कार्यक्रम तैयार करें और अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन से प्रत्येक नीति और कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करें।

12. समिति का कोष

अल्पसंख्यक कल्याण निधि प्रारम्भिक चरण में ₹04.00 करोड की होगी, जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोल कर जमा किया जायेगा। प्रतिवर्ष निधि से व्यय धनराशि के समतुल्य धनराशि का बजट प्राविधान कराते हुए धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती रहेगी।

13. खाते का संचालन

खाते का संचालन अध्यक्ष की अनुमति से उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा

14. अभिलेख

समिति के आवश्यक अभिलेख सदस्य सचिव द्वारा तैयार एवं रक्षित किये जायेंगे।

15. ऑडिट

निधि का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आय-व्ययक की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करायी एवं उसकी रिपोर्ट की एक प्रति शासन को प्रेषित की जायेगी।


16. अनुश्रवण

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नियमित रूप से समिति के कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा एवं समिति का भंग करने का समस्त अधिकार शासन में निहित होगा।

17. अन्य

यदि किसी बिन्दु पर अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न होती है तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।


2. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

  
(एम0एच0 खान)  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 125 /XVII-3/12-07(11)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उपरजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून।
11. समस्त जिला समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजीका।

आज्ञा से,  
  
(वीरेंद्र पाल सिंह)  
उप सचिव